न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिकी 43/2009

पंजीयन दिनांक 16.03.2009

(1). गेन्दालाल पिता जीतमल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(2). मोहनलाल पिता जीतमल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। मृतक के बजाय–

2/1. बंशीलाल पिता मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/2. कैलाश पिता मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/3. रमेश पिता मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/4. प्रकाश पिता मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/5. सीतादेवी पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/6. मंजूदेवी पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/7. मुन्नादेवी पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). भंवरलाल पिता प्यारचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(2). प्रतापी बाई बेवा स्व0 शान्तिलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(3). गुलाबचन्द्र मृतक के बजाय-

3/1. उदयलाल पिता गुलाबचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

3/2. रतनलाल पिता गुलाबचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

3/3. गीताबाई पत्नी मगनलाल पुत्री गुलाबचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी दमाखेड़ी तहसील व जिला प्रतापगढ़।

3/4. नानीबाई पत्नी रामचन्द्र पुत्री गुलाबचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी सुवाखेड़ा तहसील जावद जिला नीमच (मध्यप्रदेश)।

3/5. सागरबाई पत्नी दुर्गाशंकर पुत्री गुलाबचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी गरावला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

3/6. श्रीमती लीलाबाई पत्नी भूरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

3/7. किशनलाल पिता भूरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

3/8. अशोक कुमार पिता भूरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ नाबालिग बवलायत माता लीलाबाई पत्नी भूरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

3/9. श्यामबाई पुत्री भूरालाल पत्नी कमलाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

3/10. सम्पतबाई पुत्री भूरालाल पत्नी प्रकाशचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी भट्ट भट्ट कोटड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

3/11. निर्मला बाई पुत्री भूरालाल पत्नी सुरेशचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

(4). राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 99/2004 प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2006

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थित वक्त बहस–(1). राजेन्द्र कुमार राजौरा–अधिवक्ता अपीलांट्गण

(2).शांतिलाल बसेर– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

(3). छोगालाल जाट– रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 व 3/7

(4). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 4

प्रकरण संख्या–डिकी 31/2009

पंजीयन दिनांक 25.02.2009

(1). गेन्दालाल पिता जीतमल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(2). मोहनलाल पिता जीतमल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। मृतक के बजाय–

2/1. बंशीलाल पिता मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/2. कैलाश पिता मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/3. रमेश पिता मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/4. प्रकाश पिता मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/5. सीतादेवी पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/6. मंजूदेवी पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/7. मुन्नादेवी पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). भंवरलाल पिता प्यारचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(2). प्रतापी बाई बेवा स्व0 शान्तिलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला चित्तौड़गढ़।

(3). गुलाबचन्द्र मृतक के बजाय–

3/1. उदयलाल पिता गुलाबचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

3/2. रतनलाल पिता गुलाबचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

3/3. गीताबाई पत्नी मगनलाल पुत्री गुलाबचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी दमाखेड़ी तहसील व जिला प्रतापगढ़।

3/4. नानीबाई पत्नी रामचन्द्र पुत्री गुलाबचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी सुवाखेड़ा तहसील जावद जिला नीमच (मध्यप्रदेश)।

3/5. सागरबाई पत्नी दुर्गाशंकर पुत्री गुलाबचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी गरावला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

3/6. श्रीमती लीलाबाई पत्नी भूरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

3/7. किशनलाल पिता भूरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

3/8. अशोक कुमार पिता भूरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ नाबालिग बवलायत माता लीलाबाई पत्नी भूरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामणिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

3/9. श्यामबाई पुत्री भूरालाल पत्नी कमलाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

3/10. सम्पतबाई पुत्री भूरालाल पत्नी प्रकाशचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी भट्ट भट्ट कोटड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

3/11. निर्मला बाई पुत्री भूरालाल पत्नी सुरेशचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

(4). राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 99/2004 अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.01.2009

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थित वक्त बहस–(1). राजेन्द्र कुमार राजौरा–अधिवक्ता अपीलांटगण
(2).शांतिलाल बसेर– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). छोगालाल जाट– रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 व 3/7
(4). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 4

निर्णय दिनांक 21.11.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांटगण ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण अपीलांटगण आपस मे सगे भाई है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट वादीगण अपीलांटगण का भतीझा हैं प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट के पिता प्यारचंद का देहान्त हो चुका है एवं उसका एकमात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट है। वादीगण अपीलांटगण के पिता जीतमल के दो सगे भाई रामचन्द्र व लछमन थे। जीतमल, रामचन्द्र व लक्षमन तीनो का देहान्त हो चुका है। रामचन्द्र का वारिस प्रतिवादी संख्या 2 रेस्पोडेन्ट गुलाबचन्द्र है। लक्षमन का वारिस उसका पुत्र शांतिलाल था जिसका देहान्त हो चुका है एवं शांतिलाल की पत्नी प्रतिवादी संख्या 3 रेस्पोडेन्ट लछमन की वारिस है। वादीगण अपीलांगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की कृषि आराजीयात मौजा बामनिया तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 514, 534, 732, 733, 734, 737, 746, 747, 776, 530 स्थित है। इसी प्रकार मौजा बामनिया मे वादीगण अपीलांटगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट की पैतृक संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात आराजी संख्या 494, 755, 703 स्थित है जो वादीगण अपीलांटगण के पिता जीतमल व उनके भाई रामचन्द्र व लक्षमन के पुराने नम्बरो से आपसी बंटवाड़े मे वादीगण अपीलांटगण के पिता जीतमल के हिस्से मे आई इस कारण उक्त कृषि आराजीयात भी वादीगण अपीलांटगण व प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट की पैतृक संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात है। उक्त कृषि आराजीयात मे वादीगण अपीलांटगण प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक व हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट का 1/3 हक व हिस्सा निहित होकर इसके अलावा अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा इन आराजीयात मे निहित नहीं है। उक्त कृषि आराजीयात का वादीगण अपीलांटगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट के मध्य लगभग 10 वर्ष पूर्व वादीगण अपीलांटगण व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण के मध्य विभाजन हो चुका है जिसके अनुसार वादी अपीलांट संख्या 1 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हिस्से मे आराजी संख्या 755 रकबा 2.29 हैक्टेयर, वादी अपीलांट संख्या 2 के हिस्से मे आराजी संख्या 732, 733, 737, 530, 734 कुल किता 5 कुल रकबा 3.12 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट के हिस्से मे आराजी संख्या 514, 534, 746, 747, 703, 494 कुल किता 6 कुल रकबा 2.82 हैक्टेयर अुनसार बंटवाड़े मे आई कृषि आराजीयात पर वादीगण अपीलांटगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त कृषि आराजीयात का अपीलांटगण वादीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी के अलग अलग खातेदारी मे दर्ज नहीं होने के कारण उनके बीच आये दिन विवाद होता रहता है। अपीलांटगण वादीगण कानूनन घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। वादपत्र की चरण संख्या 2 व 3 मे वर्णित कृषि आराजीयात मे अपीलांट संख्या 1 वादी का 1/3 हक व हिस्सा व अपीलांट संख्या 2 वादी का 1/3 हक व हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हक व हिस्सा है। वादपत्र की चरण संख्या 4 मे अंकितानुसार आपसी बंटवाड़ा हो गया है जिसके अनुसार अपीलांटगण वादीगण घोषणा व बंटवाड़े की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। आराजी संख्या 494, 755 पर रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 व 3 का व आराजी संख्या 703 पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का नाम अंकित होने से प्रकरण मे पक्षकार प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण कायम किये गए है। वाद कारण करीब 1 वर्ष पूर्व से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्षकारान की सुनवाई की जाकर अपीलांटगण वादीगण का वादपत्र दिनांक 11.07.2000 को स्वीकार किया जाकर आपसी बंटवाड़े के अनुसार विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रतिवादी ने न्यायालय हाजा मे प्रथम अपील प्रस्तुत की जो न्यायालय हाजा के द्वारा वाद सुनवाई दिनांक 31.05.2004 को अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 2 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 26.07.2004 को अपीलांटगण वादीगण की उपस्थिति दर्ज की जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलांटगण वादीगण का वादपत्र आंशिक रूप से प्राथमिक डिक्री किया गया व प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे कमिश्नर से विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2006 से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण वादीगण ने इस न्यायालय मे म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की है।

अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत म्याद बाहर अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने मे जो विलम्ब हुआ है, उक्त विलम्ब को अपीलांट्गण प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है।

अपीलांगण वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2006 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2009 के विरुद्ध अलग अलग अपीले प्रस्तुत की है। दोनो अपीलों के पक्षकार व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एक ही होने से दोनो अपीलों की एक साथ बहस समायत की जाकर एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनो पत्रावलीयों मे संलग्न रहे।

अधिवक्ता अपीलांट्गण वादीगण ने अपनी बहस मे दोनो अपीलो के अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात पैतृक कृषि आराजीयात है व पैतृक कृषि आराजीयात का मौके पर आपसी सहमति से पक्षकारान के मध्य विभाजन कर रखा है उसी अनुसार सभी पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अपीलांट्गण वादीगण ने वक्त बहस पक्षकारान का सजरा भी वर्णित किया व यह भी निवेदन किया कि प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2006 को पारित की जिसमे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कृषि आराजीयात, आराजी संख्या 530, 703, 494, 455 के संबंध मे अपीलांट्गण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना नहीं मानते हुए शेष खाता संख्या 113 मे दर्ज कृषि आराजीयात आराजी संख्या 514, 534, 732, 733, 734, 737, 746, 747, 776 कुल किता 9 कुल रकबा 4.60 हैक्टेयर के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है व उसी अनुसार कमिश्नर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार स्वयं ने मौका रिपोर्ट तैयार नहीं करके अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से फर्द बंटवाड़ा तैयार करा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट्गण वादीगण ने आपत्ति प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट्गण वादीगण की आपत्ति को अस्वीकार की जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अपीलांट्गण

अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री तत्पश्चात अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत दोनो अपीले स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांटगण वादीगण ने घोषणा व बटंवाड़े का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.07.2000 को रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय व डिक्री पारित की। विवादित कृषि आराजीयात मे से आराजी संख्या 530, 703, 494, 755 जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रतिवादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है, उक्त आराजीयात का भी बंटवाड़ा किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की जिसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2 ने न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत की जो न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 31.05.2004 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई की जाकर आराजी संख्या 530, 703, 494, 755 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की खातेदारी की होना मानते हुए शेष कृषि आराजीयात के संबंध मे बंटवाड़े की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की उसके पश्चात कमिश्नर से फर्द बंटवाड़ा तलब किया जाकर फर्द बंटवाड़े पर प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण किया जाकर दिनांक 12.01.2009 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व उसके पश्चात पारित अंतिम निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होकर अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2006 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2009 को विधिपूर्ण होना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत दोनो अपीलें निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की जिसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील कमांक डिक्री 173/2003

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रस्तुत की जो इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 31.05.2004 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2000 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्षकारान की सुनवाई की जाकर दिनांक 30.01.2006 को अपीलांट्गण वादीगण का वादपत्र आंशिक रूप से निर्णय व डिक्री किया जाकर मौजा बामणिया की खाता संख्या 113 मे अंकित आराजी संख्या 514 , 534, 732, 733, 734, 737, 746, 747, 776 कुल किता 9 कुल रकबा 4.60 हैक्टेयर के बंटवाड़े की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई व आराजी संख्या 530, 703, 494, 755 के संबंध मे वादीगण अपीलांट्गण को घोषणा व बंटवाड़े का अधिकारी नहीं होना मानते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसके विरूद्ध अपीलंट्गण ने म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की है जिससे अपील के साथ अपीलांट्गण वादीगण की ओर से म्याद को क्षम्य किये जाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य नही है। कमिश्नर से फर्द बंटवाड़ा मंगवाया जाकर अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री फर्द बंटवाड़े के अनुसार पारित की गई है। अपीलांट्गण वादीगण ने फर्द बंटवाड़े पर दिनांक 25.11.2006 को लिखित आपत्ति प्रस्तुत की है जिसमे बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना नहीं करते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से फर्द बंटवाड़ा तैयार करवाया जाना अंकित किया है। फर्द बंटवाड़ा दिनांक 20.10.2006 का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि उक्त फर्द बंटवाड़ा कमिश्नर स्वयं के द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पक्षकारान की अनुपस्थिति मे पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार करवाया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिससे अपीलांट्गण वादीगण की ओर से फर्द बंटवाड़े पर प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार योग्य थी फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त की जाकर उक्त फर्द बंटवाड़े के अनुसार दिनांक 12.01.2009 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2006 विधि सम्मत है परन्तु अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2009 बंटवाड़ नियम 18 से 21 के अनुसार नहीं होकर विधि सम्मत नहीं होने से अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

फलस्वरूप प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलांट्गण वादीगण अपील कमांक डिक्री 43/2009 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 99/2004 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2006 यथावत रखी जाती है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। साथ ही प्रकरण संख्या 99/2004 मे पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलांट्गण वादीगण अपील कमांक डिक्री 31/2009 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 99/2004 मे पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2009 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह कमिश्नर स्वयं के द्वारा उभय पक्षकारान को सूचित किया जाकर उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 20.12.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)